संख्या-114/2023/604ई/23-11-2023/005-320ई-2023

प्रेषक,

राज कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 **लखनऊ : दिनांक 23 मार्च, 2023**

विषयः- राज्य/प्रमुख/अन्य जिला मार्गो के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण योजनान्तर्गत स्वीकृत जनपद कुशीनगर व मुरादाबाद के 04 कार्यो पर जी0एस0टी0 की धनराशि आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-10430बी0जी0/7बी0-जी0एस0टी0/2021-22, दिनांक 02-03-2023 एवं पत्र संख्या-8702बी0जी0/7बी0-जी0एस0टी0/2021-22, दिनांक 20-03-2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य/प्रमुख/अन्य जिला मार्गो के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण योजनान्तर्गत स्वीकृत अधोलिखित तालिका में उल्लिखित जनपद कुशीनगर व मुरादाबाद के कुल 04 चालू कार्य, जिनकी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तालिका के स्तम्भ-4 में अंकित शासनादेशों द्वारा लागत+जी0एस0टी0 नियमानुसार वास्तविकता के आधार पर देय, की प्रदान की गयी है, उनके सम्मुख स्तम्भ-6 में अंकित जी0एस0टी0 की धनराशि, जिसका कुल योग रू0 1329.12 लाख (रूपये तेरह करोड़ उन्तीस लाख बारह हजार मात्र) होता है, को वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवमुक्त किए जाने की निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

क्र0 सं0	जनपद/ खण्ड का नाम	कार्य का नाम	मूल स्वीकृति का शा0सं0 व दि0	कार्य की मूल स्वीकृत लागत	मांगी गयी जी0एस0टी0 की धनराशि	अवुक्त धनराशि		
						अनु0-58	अनु0-83	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नि0ख0 कुशीनगर	जनपद कुशीनगर में परतावल पिपराईच मार्ग (अ0जि0मा0) के चैनेज 0.00 से 15.400 का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य (लम्बाई 15.400 कि0मी0)।	203/2019/159 (1)बी0/23-11-2019-1/2(80)/2019, दि0 07-11-2019	2596.75 + जी0एस0टी0 नियमानुसार वास्तविकता के आधार पर देय	264.03	208.03	56.00	264.03
2	नि0ख0 कुशीनगर	जनपद कुशीनगर में हाटा मझने नाला पिपराईच मार्ग (अ0जि0मा0) के चैनेज 0.00 से 24.900 का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य (लम्बाई 24.900 कि0मी0)।	202/2019/159(1)ए0/23-11-2019/1/2(79)/2019, दि0 07-11-2019	4017.98 + जी0एस0टी0 नियमानुसार वास्तविकता के आधार पर देय	392.76	309.46	83.30	392.76
3	प्रा0ख0 मुरादाबाद	जनपद मुरादाबाद में ठाकुरद्वारा-रतुपुरा मार्ग से ताजपुर वाया पीपलगांव, खबि डयाघाट, सेहल मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य (लम्बाई 42.30 कि0मी0)।	74/2020/184 (1)/23-11-2019-1/2(56)/2019, दि0 14-02-2020	4200.32 + जी0एस0टी0 नियमानुसार वास्तविकता के आधार पर देय	460.84	363.10	97.74	460.84

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4	प्रा0ख0 मुरादाबाद	जनपद मुरादाबाद में टी0एम0 मार्ग के डी0डी0के0 मार्ग वाया बंकावाया रतुपुरा बहादुरनगर मार्ग (अ0जि0मा0) के कि0मी0 01 से 27.520 का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य (लम्बाई 26.520 कि0मी0)।	16/2020/90(1)/ 23-11-2019- 1/2(42)/2019, दि0 03-01-2020	2884.74 + जी0एस0टी0 नियमानुसार वास्तविकता के आधार पर देय	211.49	166.63	44.86	211.49
योग:-						**1047.22**	**281.90**	**1329.12**

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) उक्त कार्यो हेतु अवमुक्त की जा रही जी0एस0टी0 की धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से कार्य पर जितनी जी0एस0टी0 देय होगी, उतनी ही भुगतान की जायेगी। अवशेष धनराशि राजकोष जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) उक्त कार्यो पर अवमुक्त की जा रही जी0एस0टी की धनराशि के भुगतान के सम्परीक्षित लेखा प्राप्त कर अभिलेखों में संरक्षित किए जाय।

(3) किसी भी स्थिति में कार्य एवं फडिंग की डुप्लीकेसी न होने दी जाय एवं समयान्तर्गत कार्य का पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(4) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यो की सपंरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(6) प्रश्नगत कार्य पर अवमुक्त की जा रही जी0एस0टी0 की धनराशि का भुगतान नियमानुसार वास्तविकता के आधार पर किया जायेगा तथा यदि पूर्व में कोई जी0एस0टी0 की धनराशि का भुगतान सम्बन्धित को किया गया है, तो उसका समायोजन सुनिश्चित करने के उपरान्त ही जी0एस0टी0 की धनराशि का भुगतान किया जाय।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किये जाने पूर्व उक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश की शर्तो का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) लोक निर्माण विभाग में सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ऑन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04-05-2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी0सी0एल0 प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13-04-2022 में निहित व्यवस्था/शर्तो का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07-जून 2022 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या- 23/2022/बी-1-749/दस-2022-231/2022, दिनांक 04-11-2022 में निहित शर्तो का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय (1) रूपये 10,47,22,000(रूपये दस करोड़ सैतालिस लाख बाईस हजार मात्र) को को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 058 लेखाशीर्षक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5054043371323 राज्य/प्रमुख/अन्य जिला मार्गो के चालू कार्यो हेतु व्यवस्था (राज्य सेक्टर) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य(2) रूपये 2,81,90,000(रूपये दो करोड़ इक्यासी लाख नब्बे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047891300 राज्य/प्रमुख/अन्य जिला मार्गो के कार्यो हेतु मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राज कुमार)
अनु सचिव।

संख्या-114/2023/604ई(1)/23-11-2023/005-320ई-2023, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
9- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
10- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
12- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
13- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
14- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
15- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राज कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।